ISSN : 3048-6203 Volume -2| Issue -2| July - Dec 2025

शोधभूमि
शिक्षा एवं शिक्षण शास्त्र विषय की पूर्व समीक्षित शोध पत्रिका
Page No. : 647-653

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 में सृजनात्मकता व संवेगात्मक बुद्धि का स्थान

मुक्तिमणि शुक्ला
शोध छात्रा, शिक्षा संकाय
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
ईमेल : muktishukla1012@gmail.com

डॉ. अखिला सिंह गौर
सहायक प्राध्यापक
शिक्षा विभाग
डी.ए.वी.कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

किसी भी देश का विकास उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित नीतियां बनाना व उन्हें क्रियान्वित करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। सृजनात्मकता के संवेनात्मक बुद्धि दो ऐसे तत्व हैं जिनकी उपस्थिति बालकों को विशिष्ट बनाती है। इन्हीं के आधार पर बालक अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम है। इसी हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सृजनात्मकता से सम्बंधित कुछ आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं – 1) प्रत्येक बालक की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकृत करना, पहचानना व उनके विकास का प्रयास करना। 2) लचीलेपन के आधार पर कार्यक्रम क्रियान्वित कर शिक्षार्थियों में ऐसी क्षमता विकसित करना जिससे छात्र अपनी प्रतिभा व रुचि के अनुसार अपना रास्ता चुन सके। 3) सृजनात्मकता और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करना। 4) कक्षा –1 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाकर यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार है। यह भी सृजनात्मकता को विकसित करने में सहायक होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति:2020 के अंतर्गत बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य शिविर लगवाये जायेंगे व इसके लिये उन्हें स्वास्थ्य कार्ड भी प्रदान किये जायेंगे क्योंकि स्वस्थ बालक की संवेगात्मक बुद्धि उचित प्रकार से कार्य करेगी व बालक परिस्थितियों व संवेगों के साथ समायोजन करने में सक्षम रहेगा। समायोजित संवेगों का धनी व्यक्ति परिस्थितियों के साथ भलीभांति समायोजन बना लेता है।

अतः प्रत्येक राष्ट्रीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, नैतिक व बौद्धिक व सृजनात्मक रूप से विकसित करना है जिससे राष्ट्र को उन्नत बनाया जा सके।

मुख्य बिंदुः राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020, संवेगात्मक बुद्धि, सृजनात्मकता।

प्रस्तावना

प्रत्येक देश का भविष्य उस देश के नागरिकों पर निर्भर करता है अतः नागरिकों का शिक्षित होना नितान्त आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो निर्बल से जनता को सबल व सफल बना सकता है परन्तु प्रश्न उठता है कि क्या एक जैसी शिक्षा प्रणाली या शिक्षा नीति सदैव के लिए उचित है? क्योंकि समय परिवर्तनशील है अतः एक शिक्षा नीति सदैव कार्य नहीं कर सकती। शिक्षा नीति वही उपयुक्त व श्रेष्ठ है जो समाज को उन्नत बनाने में सहायक हो हम सभी परिचित हैं कि शिक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए कई शिक्षा नीतियाँ बनाई गई जैसे–राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 1986, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 1990 पुर्नसंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 1992 और वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 लागू की गई है।

समय–समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का निर्माण व क्रियान्वयन क्यों किया गया? क्योंकि समय परिवर्तनशील है जो समय भूतकाल में था यह वर्तमान में नहीं है, जो समय वर्तमान में है वह भविष्य में नहीं होगा अतः समय के साथ–साथ शिक्षा नीतियों में भी परिवर्तन आवश्यक है। समय व समाज की मांग के अनुसार ही नागरिकों का निर्माण आवश्यक है। समाज की चुनौतियों व समस्याओं को सुलझाने के लिए कुशल नागरिकों की आवश्यकता है अतः वर्तमान में तकनीकी शिक्षा की माँग को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली व ई–लर्निंग को विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है। तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ पाठ्यक्रम में कई ऐसे विषय व गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है जो बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं।

सर्वप्रथम राश्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 के मुख्य उद्देय इस प्रकार हैं जो शिक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में सहायक रहे हैं–

- परीक्षाओं में सुधार।
- खेलकूद की व्यवस्था।
- कार्य–अनुभव एवं राष्ट्रीय सेवा।
- शैक्षिक अवसरों में समानता।
- साक्षरता एवं वयस्क शिक्षा का प्रसार।
- कृषि एवं उद्योगों के लिए शिक्षा का विकास।
- विज्ञान एवं अनुसन्धान की शिक्षा का समान स्तर।
- अध्यापकों के वेतन, शिक्षा एवं पदस्थिति में सुधार।
- सस्ती पाठ्य–पुस्तकों के स्तर एवं उत्पादन में सुधार।
- त्रिभाषा सूत्र एवं प्रादेशिक भाषाओं का विकास।

- प्रतिभाशाली छात्रों की खोज एवं उनकी प्रतिभा का अधिकतम विकास।
- अल्पकालीन शिक्षा एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों की विशाल पैमाने पर व्यवस्था।
- 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था।
- माध्यमिक स्तर पर तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार।
- उच्च शिक्षा के केन्द्रों की सुविधाओं में विस्तार और स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसन्धान एवं पाठ्यक्रमों में सुधार।
- शिक्षा की संरचना– 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा एवं 3 वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स।

राश्ट्रीय शिक्षा नीति, 1979

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 की प्रस्तावना में कहा गया–''शिक्षा की आदर्श प्रणाली को लोगों को यह जानने के लिए तत्पर बनना चाहिए कि उनकी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताएँ क्या है और उनका अधिकतम विकास किस प्रकार किया जा सकता है। आदर्श शिक्षा प्रणाली लोगों में सामाजिक तथा मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता विकसित करके उनमें उत्तम चरित्र का विकास करती है और समाज के उत्तरदायी सदस्यों के रूप में उन्हें उत्तम जीवन व्यतीत करना सिखाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1979 की प्रमुख विशेषताएँ

- इस शिक्षा नीति में भाषा, गणित, कला आदि विषयों के शिक्षण पर अधिक बल दिया गया।
- कॉमन स्कूल पद्धति की स्थापना की गई।
- इस शिक्षा नीति की प्रमुख प्राथमिकता प्रौढ़ शिक्षा थी।
- माध्यमिक शिक्षा को प्रधानता प्रदान की गयी जिसे दो धाराओं में बांटा गया–सामान्य तथा व्यावसायिक।
- शिक्षा में नवीन प्रयोगों को प्रोत्साहन दिया जाये।
- उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए पत्राचार–पाठ्यक्रम, अंशकालीन पाठ्यक्रम, स्वयं के समय के अनुकूल अध्ययन कार्यक्रम आदि को महत्वपूर्ण माना।
- शिक्षा नीति में 8+4+3 की शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया।
- सामाजिक–आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए तकनीकी शिक्षा को सभी स्तरों पर संगठित किया जाय।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक रचनात्मक योजना का विकास करना जिससे संस्कृति को सभी स्तरों पर शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जा सके।
- शिक्षा के सभी स्तरों पर (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर) क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए।
- शिक्षक–शिक्षा के पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन किया जाये जिससे इस शिक्षा को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके।

तत्पश्चात् राश्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण किया गया इस राश्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में राश्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ढाँचा तैयार किया गया।

- इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सन् 1968 की नीति में अनुशंसित सामान्य स्कूली प्रणाली को क्रियान्वित करना व प्रभावी बनाना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के लिए 10+2+3 की संरचना को स्वीकार किया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पूरे देश में एक पाठ्यक्रम पर आधारित होगी जिसमें एक सामान्य केन्द्रित होगा और अन्य तथ्यों के बारे में लचीलापन होगा जिन्हें स्थानीय पर्यावरण तथा परिवेश के अनुसार ढाला जा सके।
- समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सभी को शिक्षा का समान अवसर ही उपलब्ध नहीं कराया जायेगा वरन् सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान किये जायेगे।
- प्रत्येक चरण पर दी जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जायेगा। ऐसे उपाय भी किये जायेंगे कि विद्यार्थी देश के विभिन्न भागें की संस्कृति, परम्पराओं तथा सामाजिक व्यवस्था को समझ सके। युवा वर्ग को अपनी कल्पना और समूझबूझ के अनुसार देश की महिमा तथा गरिमा पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- उच्च शिक्षा, सामान्य तथा खास तौर से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले प्रत्येक छात्र को बराबर के मौके दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- शोध, विकास तथा विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विषयों में देश की विभिन्न संस्थाओं के बीच व्यापक तानाबाना स्थापित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जायेगी।
- इस शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग, गृहणियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों आदि को अपनी पसन्द व सुविधा के अनुसार अपनी शिक्षा जारी रखने के अवसर प्रदान किये जायेंगे। इसलिए भविष्य में खुली शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा आदि प्रमुख अंग होंगे।

संक्षिप्त में देखा जाये तो इस नीति के कुछ प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार है।

- इस नीति का प्रमुख उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजानतियों आदि के लिए शैक्षिक अवसर की समानता पर विशेष जोर देना था।
- इस नीति ने प्राथमिक शिक्षा को अधिक बेहतर बनाने के लिए 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' लॉन्च किया गया।
- इस नीति ने इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का विस्तार किया।

- ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित 'ग्रामीण विश्वविद्यालय' मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वाहन किया गया।

सन् 2019 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2019 का मसौदा जारी किया गया जिसके बाद कई सार्वजनिक परामर्श हुए इसमें–आवश्यक शिक्षण, आलोचनात्मक सोच और अधिक समग्र अनुभवात्मक चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री को कम करने पर चर्चा की गई है।

- यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर छात्रों के लिए सीखने को अनुकूलित करने के प्रयास में 10+2 प्रणाली से 5+3+3+4 प्रणाली डिजाइन में पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के संशोधन के बारे में भी बात करता है।
- स्नातक पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में अनुसन्धान पद्धति को जोड़ा गया है और छात्र के पास पाठ्यक्रम छोड़ने और उसके अनुसार प्रमाण–पत्र/डिग्री प्राप्त करने का विकल्प होगा।
- 29 जुलाई, 2020 को, कैबिनेट ने मौजूदा भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी जिसे भारत में 2026 तक लागू किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में शिक्षा की पहुँच समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुददों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जी0डी0पी0 के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत ही 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' करने को भी मंजूरी दी गई है।

जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का निर्माण किया गया है सभी में छात्रों को सर्वांगीण विकास को मुख्य स्थान दिया गया है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना व प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना इसी हेतु वर्तमान प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा तथा ग्रामीण बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु नवोदय विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। कई तकनीकियॉ व गतिविधियॉ ऐसी सम्मिलित की गयी जिसकी सहायता से बालकों की सृजनात्मकता में वृद्धि की जा सके।

सृजनात्मकता क्या है ? इस शब्द से सभी परिचित हैं परन्तु संक्षेप में देखे तो सृजनात्मकता का अर्थ है ''किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से जुड़ी समस्या का समाधान निकालने के लिए कुछ नया रचने, अविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया।

ड्रैवडाहल के भाब्दो में–''सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा हम उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करते हैं जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें वह व्यक्ति पहले से न जानता हो।''

टोरन्स ने सृजनात्मकता के निम्नलिखित गुण माने हैं–

1. प्रवाह
2. नमनीयता
3. मौलिकता
4. विस्तारता

किसी भी बालक में सृजनात्मकता को उत्पन्न करने के लिये उपरोक्त गुणों का समावेशन करना अनिवार्य है। अतः किसी भी राष्ट्र को विकसित तभी बनाया जा सकता है जब वह अन्य राष्ट्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके या अन्य राष्ट्रों से आगे बढ़ सके। अतः राष्ट्र की शिक्षा नीतियों को समय के अनुसार परिवर्तित होना अनिवार्य है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में सृजनात्मकता से सम्बंधित महत्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार हैः–

- प्रत्येक बालक की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानकर उनके विकास का प्रयास करना।
- लचीलेपन के माध्यम से शिक्षार्थियों में सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रम को चुनने की क्षमता उत्पन्न हो सके, इस तरह वे प्रतिभा और रूचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें।
- सृजनात्मकता और तार्किक सोंच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- प्रारम्भिक बाल्यावस्था में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है।
- प्रारम्भिक शिक्षा में एन0सी0ई0आर0टी0 व एस0सी0ई0आर0टी0 के द्वारा कक्षा–1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का खेल आधारित 'स्कूल तैयारी माड्यूल' बनाया जायेगा जिसमें गतिविधियाँ और वर्कबुक होगी। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार है। यह भी सृजनात्मकता व समायोजन को बढ़ावा देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में यदि लाना है तो देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना नितान्त आवश्यक है और शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए उचित नीतियों का बनना व उनका क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है। हम सभी परिचित हैं कि हमारे देश में विभिन्न नीतियों जैसे–राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया व इन्हें क्रियान्वित करने का भरसक प्रयास रहा। वर्तमान समय में राष्ट्रीय

शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्यवित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें वर्तमान परिस्थितियों को समय के परिवर्तन को देखते हुए नए बिन्दु जैसे–तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा का विकास, सृजनात्मकता को बढ़ावा, खेल आधारित शिक्षा, योग आदि को महत्व प्रदान किया गया है जिससे बालकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार किया जा सके व बालकों का बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक व सृजनात्मक विकास किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को 2026 तक लागू करने की अनुशंसा की गई है जो कि सबसे बड़ी चुनौती है इससे सम्बंधित कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैः–

- महँगी शिक्षा।
- शिक्षकों का पलायन।
- शिक्षा का संस्कृतीकरण।
- संसद की अवहेलना।
- मानव संसाधन का अभाव।

अतः उपरोक्त चुनौतियाँ नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं इसलिए समस्त नागरिकों का कर्त्तव्य बनता है कि चुनौतियों का सामना करते हुये नई शिक्षा नीति के नये आयामों को शिक्षा प्रक्रिया में लागू करने का प्रयास करें व छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकें।

संदर्भ–सूची

- भटनागर, सुरेश, गुप्ता महिमा, सिंह, के0पी0 (2014) 'शिक्षा मनोविज्ञान' आर0 लााल बुक डिपो, मेरठ।
- भटनागर, सुरेश (2014) 'भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, आर0 लाल बुक डिपो।
- पाठक, पी0डी0 (2011) 'भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2
- https://hi.wikipedia.org
- https://www.drishtiias.com
- https://www.chronicleindia.com